फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

उर्मिला वगै0 बनाम डगली वगै0

पत्र संख्या : 362/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से एड0 श्री सत्यनारायण माहेश्वरी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सतठित धारा 151 सीपीसी मय दस्तावेज सूची पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रतिवादी ने जवाब नही देकर लिखित बहस पेश है। जिसे शमिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 28.11..2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर	
28.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने उक्त दावा झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है क्योकि उक्त विवादग्रस्त भूमि खाता सं0 74 खसरा नम्बर 218 रकबा 2.0200है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 1.8600है0, कुल रकबा 3.8800है0 खातेदारी भूमि ग्राम जैयसिहपुरा, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। जो कि काना पुत्र साधु मीणा के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 थी जो कि काना नाऔलाद फौत हुआ है जो वादीगण ने भी स्वीकार किया है तथा काना के मरने के बाद उसकी पत्नि प्रभाती देवी ने उनके सगे भाई नारायण की चूडी पहन ली थी तथा नारायण व प्रभाती के चार पुत्र हुये जो ग्यारसीलाल जगदीश भागीरथ व सोहन थें। जिनमें भागीरथ व सोहन कुवारे फौत हो गये थे तथा केवल ग्यारसीलाल व जगदीश रहे थे जो भी फोत हो गये है। जिसमें ग्यारसीलाल के वारिसान हम प्रतिवादीगण है तथा जगदीश के वारिसान वादीगण है तथा हम वादी व प्रतिवादीगण मूल गांव बीलवाडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर के रहने वाले है तथा हमारे ग्राम बिलवाडी मे भी पैतृक खातेदारी भूमि खाता सं0 90 के खसरा नम्बर 314 थी जिसका भी विरासती नामान्तकरण वादीगण व प्रतिवादीगण के बराबर बराबर हिस्से में खुला है। उसी आधार पर ग्राम जयहिसपुरा की भूमि का नामा0 भी हम वादीगण व प्रतिवादीगण के बराबर हिस्से में खोला गया है जो सही है तथा उक्त नामा0 तहसीलदार आंधी द्वारा खोला गया है जिसको वादीगण ने चैलेन्ज करते हुये यह दावा पेश किया है। जो कि विधिक रूप से वर्जित है। तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार के खोले गये नामा0 को चैलेन्ज केवल ए0डी0एम0 के यहा करने का अधिकार होता है। वादीगण ने अपने दावे में यह उल्लेख किया है कि हमारे पिता/पति जगदीश काना के गोद चले गये थे जिस कारण काना की भूमि के हकदार हम स्वयं है। लेकिन वादीगण ने उक्त तथ्य झूठे व मनगठंत पेश किये है तथा अपने दावे में कोई रजि0 गोदनामा पेश नही किया है। बल्कि एक सफेद कागज पर स्याही से लिखकर झूठे व कम उम्र के गवाहो के हस्ताक्षर बनाकर पेश किया है जो देखने मात्र से ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को पहले अपने पिता जगदीश दत्तक पुत्र घोषित करवाना चाहिये था जो अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है तथा माननीय न्यायालय को दत्तक पुत्र घोषित करने का अधिकार भी नही है उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

जिस कारण वादीगण का दावा विधि द्वारा वर्जित होने के काण खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण के पिता/पति जगदीश के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी जगदीश के पिता का नाम नारायण दर्ज है ना कि पिता का नाम काना दर्ज है तथा यहा तक की जगदीश के किसी भी दस्तावेज मे पिता का नाम काना दर्ज नही है बल्कि नारायण ही दर्ज है जिससे साफ जाहिर है कि जगदीश नारायण का ही पुत्र था न कि काना का दत्तक पुत्र था। वादीगण ने पूर्व में तहसीलदार आंधी के समक्ष गुपचुप रूप से ग्राम जयसिहपुरा की भूमि का नामा0 अपने नाम खुलवा लिया था तथा खुलवाते ही अपने हिस्से में से कुछ भूमि का बैचान कर दिया था जिसका हमको पता चलते ही हम वादीगण ने तहसीलदार आंधी के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर समुचित सत्यता व दस्तावेज पेश किये तथा जिस पर तहसीलदार आंधी द्वारा हमारे पक्ष मे भी ग्राम जयसिहपुरा की भूमि का वादीगण के खोले गये सम्पूर्ण हिस्से मे से हमारे नाम आधे हिस्से का नामा0 खोला गया जिसके आधार पर हम प्रतिवादीगण ने भी वादीगण द्वारा बेचे गये केता रजनी के भाई महेन्द्र के नाम भी हमने कुछ भूमि का बैचान कर दिया जिससे साफ जाहिर है कि वादीगण की स्वयं की भी मौखिक सहमति उक्त बैचननामा मे साबित हो रही है। क्योकि इन्होने ने ही हमे बताया कि हमने रजनी को जितनी जमीन बेची है उतनी ही जमीन आप उसके भाई महेन्द्र को बेच दो इस प्रकार वादीगण मनगठत तथ्य पेश कर न्यायालय को गूमराह कर न्यायालय के बैसकिती समय को बेकार करने के कारण वादीगण द्वारा किया गया दावे काबिले खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने हम प्रतिवादीगण के द्वारा कराये गये बेनामा को न्यायालय से निरस्त करवाना चाहा है जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार नही है। जिस कारण वादीगण दावा इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें।

वकील वादीगण ने अपनी लिखित बहस मय दस्तावेज सूची तथा नजीरे पेश कर निवेदन किया कि काना के मरने के बाद उसकी पत्नी प्रभाती देवी ने उनके सगे भाई नारायण की चूडी पहन लिया। जबकि कानाराम पुत्र साधूराम की मृत्यु ही 11.09.1985 को हुई थी, जिसके संबंध मे मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत है एवं नारायण पुत्र लादूराम की मृत्यु सन् 1970 से पूर्व ही हो चुकी थी, जिसके संबंध में नारायण पुत्र लादू के अलॉटमेंट की भूमि के विरासती नामान्तकरण की नकल प्रस्तुत है। वादीगण ने हक घोषणा बाबत कृषि भूमि दावा पेश किया है। वादीगण ने गोद पुत्र होने पर बाबत घोषणा का अनुतोष नही चाहा है। उक्त तथ्यों को जवाब दावे बाद तनकी सहित साक्ष्य सबूत द्वारा तय किया जा सकता है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश करने से पूर्व दावे में अंकित तथ्यों को ऐतराज जरिये आदेश 7 नियम 11 के आवेदन के तहत नही लिया जा सकता है, प्रतिवादीगण को अपने जवाब दावे में वाद पत्र का विस्तृत जवाब दावा पेश करने की हिदायत दिया जाना अपेक्षित व न्यायोचित होगा। कृषि भूमि के संबंध में हक घोषणा कराने का वाद मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत श्रीमान राजस्व ण्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से ही वादी की ओर से बाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के परिधि मे कतई ही नही आता है। प्रतिवादीगण उन आपत्तियों को अपने जवाब दावे मे उठा सकते है। जिन तथ्यो का निर्णय दावें में प्रस्तुत जवाब दावे व साक्ष्य सबूत मय गवाहन से किया जाना शेष है। अपने वशानुगत पैतृक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने के लिए प्रस्तुत वाद कतई ही विधि विरूद्व नही है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि में नही आता है। वादी के कथनों को इस प्रकार से उक्त विधिक तथ्यों का निस्तारण एवं काश्तकारी व खातेदारी अधिकारों का निस्तारण मात्र दावे में जवाब दावे बाद तनकी कायम करते हुए साक्ष्य सबूतो से ही तय किया जा सकता है। उक्त आवेदन के तहत काश्तकारी व खातेदारी अधिकारों के संबंध में न्यायिक निसतारण नही हो सकता है। तहसीलदार आंधी ने नियमित सुनवाई किये जाने के उपरान्त वादीगण के हित में अपना निर्णय

उपखण्ड अधि

पारित कर दिया जिसका अमलदरामद होने के उपरान्त प्रतिवादीगण की ओर से मिली भगत करते हुए अपने पूर्व में खुले आम जारी निर्णय में अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पुनः निर्णय पारित कर दिया, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त को करवर विक्रय हस्तान्तरण करने एवं मुतकिल करने पर आमदा है, जिसके विरूद्ध हक घोषणा का वाद बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में नही आता। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अभितक प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नही किया गया है तथा ना ही जवाब दावे के आधार पर वादीगण के कथनों के विरूद्ध आपत्ति की गई है। वादीगण ने अपने काश्तकारी व खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराते हुए विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीगण के अवैध इन्द्राज को दुरूस्तीकरण हेतु अनुतोष चाहा है जो कि वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपना अनुतोष हेतु दावा करने के विधिक अधिकारी है, जिससे वाद वादीगण विधि द्वारा कतई वर्जित नही होकर काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी अपने विधिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा जरिये माननीय न्यायालय द्वारा कराने का अधिकारी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने के आदेश दिया जावें। अतः दावे के जवाब दावा पेश करने के बाद तनकियात कायम की जाकर उभय पक्षों की साक्ष्य ली जाकर कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय द्वारा आवे की प्रकृति एवं अनुतोष के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार मे रहते हुए दावे के वांछित अनुतोषो तक निर्णित किया जायेगा तथा माननीय न्यायालय को प्रस्तुत दावें को सुनने एवं निर्णित करने का पूर्णत क्षेत्राधिकार है जिससे दावा चलने योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पेश रफत नही है जो कि मय हर्जा खर्चा खाजिर फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर पाया कि वादांकित भूमि ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 218, 223 है। जिसमें संबंध में न्यायालय तहसीलदार आंधी जिला जयपुर राज0 द्वारा मु0नं0 10/2025 ब उनवान नीरज वगै0 बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 08.10.2025 द्वारा नामा0 स्व0 जगदीश व स्व0 ग्यारसीलाल के वारिसान के पक्ष में बराबर हिस्सानुसार खोलने के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये है। जिसका अमल वर्तमान राजस्व रिकार्ड हो चुका है। वादीगण उक्त आराजियात का सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने व बयनामा सं0 202503424101890 दिनांक 16.10.2025 को वादीगण के हक हकूको के प्रति शून्य व प्रभावहीन कराने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया है। वाद के संबंध में वादीगण द्वारा ऐसे कोई रजि0 दस्तावेज पेश नही किये। वाद पत्र में वादीगण द्वारा मृतक काना उत्तराधिकार हेतु कोई ऐसा रजि0 दस्तावेज पेश नही किया है। चुकि प्रकरण में पहले उत्ताधिकार घोषित करवाना चाहिए। जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित नही है तथा विकय पत्र को शून्य प्रभाव घोषित करे का न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायिक क्षेत्राधिकार मे नही होने से वाद विधि विरूद्ध पेश किया गया। जिसे वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को विधि विरूद्ध होने व न्यायिक क्षेत्राधिकार नही होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर